अनुबंध

सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पुनरुज्जीवन और पुनर्वास के लिए ढांचा

1. पात्रता :

इस ढांचे में किए गए प्रावधान, संघीय (कंसोर्टियम) या बहु बैंकिंग व्यवस्था (एमबीए) के अंतर्गत खातों सहित, रु. 25 करोड़ तक की ऋण सीमा वाले एमएसएमई पर लागू होंगे।

2. आरंभिक दबाव की पहचान

2.1 बैंकों या क्रेडिटर द्वारा पहचान - माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम ऋण खाता अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में परिवर्तित होने से पहले बैंकों या ऋणदाताओं को चाहिए कि वे नीचे दी गई तालिका के अनुसार विशेष उल्लिखित खाता (एसएमए) के अंतर्गत तीन उप-श्रेणियाँ बनाकर खाते में आरंभिक दबाव की पहचान करें :

एसएमए उप-श्रेणियां	**वर्गीकरण हेतु आधार**
एसएमए-0	मूलधन या ब्याज भुगतान 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय नहीं परंतु खाता आरंभिक दबाव दर्शा रहा है (कृपया अनुबंध - I देखें)
एसएमए-1	मूलधन या ब्याज का भुगतान 31 से 60 दिनों के बीच अतिदेय
एसएमए-2	मूलधन या ब्याज का भुगतान 61 से 90 दिनों के बीच अतिदेय

उक्त प्रारंभिक चेतावनी संकेतो के आधार पर, खाते रखने वाली शाखा को चाहिए कि वह रु. 10 लाख से अधिक की समग्र ऋण सीमा वाले दबावग्रस्त खाते समिति को, जैसा कि पैरा 3.3 में दिया गया है, उपयुक्त सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) के लिए **पांच कार्य दिवस के अंदर** अग्रेषित करें। एसएमए-2 के रूप में रिपोर्ट किए गए खाते के मामले में सीएपी के लिए उसे समिति को अग्रेषित करना अनिवार्य होगा।

2.2 एसएमए-2 के रूप में अभिनिर्धारित रु.10 लाख तक की समग्र ऋण सीमा वाले खातों के संबंध में, बैंक द्वारा अपने बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार लिए गए निर्णय के अनुरूप शाखा द्वारा ही शाखा प्रबंधक/ अन्य ऐसे अधिकारी (इसके बाद जिसे 'प्राधिकृत अधिकारी' कहा जाएगा) के प्राधिकार के अंतर्गत ऐसे खातों की अनिवार्य रूप से सीएपी हेतु जाँच की जानी चाहिए। **जैसा कि पैरा 3.3 में दिया गया है, समिति को प्रेषित मामलों पर यथा लागू अन्य शर्तें एवं निबंधन, जैसे समय सीमा, पालन की जाने वाली क्रियाविधियों, आदि का अनुसरण शाखा प्रबंधक/ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए**। तथापि, ऐसे मामलों में जहां शाखा प्रबंधक/ प्राधिकृत अधिकारी ने सुधार या पुनर्संरचना के बजाए, पैरा 5.3 (ए) या (बी) में किए गए उल्लेख के अनुसार, सीएपी के अंतर्गत वसूली के विकल्प

का निर्णय लिया है, समिति की सहमति के लिए उसे प्रेषित करना चाहिए। इस संबंध में बैंक को अपने बोर्ड के अनुमोदन से एक उपयुक्त नीति, जैसा कि पैरा 3.4 में दिया गया है, तैयार करनी चाहिए। यदि आवश्यक है पाया जाता है तो, शाखा प्रबंधक/ प्राधिकृत अधिकारी को एसएमए-0 और एसएमए-1 के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों की भी जांच करनी चाहिए।

2.3 उधारकर्ता उद्यम द्वारा पहचान - कोई भी एमएसएमई उधारकर्ता शाखा या सीधे ही समिति को, पैरा 3.3 में दिए गए अनुसार, जहां लागू हो, आवेदन करते हुए इस ढांचे के तहत तब स्वेच्छा से कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है जब उद्यम काफी हद तक व्यावसायिक विफलता की गिरफ्त में आ चुका हो या ऋण चुकाने में वह असमर्थ या संभाव्य रूप से असमर्थ हो या पिछले लेखा वर्ष के दौरान उसके कुल निवल मूल्य में 50 प्रतिशत की सीमा तक के संचित घाटे के कारण उसके निवल मूल्य का क्षरण हुआ हो। जब ऋणदाता को ऐसा अनुरोध प्राप्त होता है तब उसे चाहिए कि वह रु. 10 लाख से अधिक की समग्र ऋण सीमा वाले खाते समिति को अग्रेषित करें। समिति को चाहिए कि वह उपयुक्त सीएपी के लिए खाते की जांच करने हेतु शीघ्रातिशीघ्र या आवेदन प्राप्त होने से **पांच कार्य दिवस के अंतर्गत** बैठक आयोजित करे। रु. 10 लाख तक की समग्र ऋण सीमा वाले खातों के संबंध में उपयुक्त सीएपी के लिए शाखा प्रबंधक/ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच की जाए।

3. दबावग्रस्त माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए समिति :

एमएसएमई खाते में दबाव के त्वरित समाधान किए जाने हेतु प्रत्येक बैंक को दबावग्रस्त माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार समिति बनानी होगी :

3.1 एमएसएमई क्षेत्र में एक्स्पोजर वाले सभी बैंकों को अपनी उपस्थिति वाले प्रत्येक जिले या मंडल स्तर या क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर, क्षेत्र में वित्तपोषित एमएसएमई इकाइयों की संख्या के आधार पर, समिति का गठन करना होगा। ये समितियां स्थायी समितियां होंगी और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्थित शाखाओं द्वारा एमएसएमई खातों के रिपोर्ट किए गए दबाव का समाधान करेंगी।

3.2 बैंकों के सहायता संघ या बहु बैंकिंग व्यवस्था (एमबीए) के अंतर्गत साख सुविधाएं प्राप्त करने वाले एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए, यदि या तो उधारकर्ता द्वारा या इस ढांचे के अंतर्गत किसी भी ऋणदाता द्वारा खाते को दबावग्रस्त के रूप में रिपोर्ट किया गया हो तो सहायता संघ का अग्रणी, या ऐसा बैंक जिसका उधारकर्ता को दिए गए ऋण में सर्वाधिक एक्सपोजर है, जैसा भी मामला हो, उसे अपनी समिति को भेज देगा। यह समिति विभिन्न ऋणदाताओं के बीच समन्वय भी स्थापित करेगी।

3.3 समिति का गठन निम्नानुसार होगा :

(क) संयोजक बैंक के क्षेत्रीय या आंचलिक प्रमुख, समिति के अध्यक्ष होंगे।

(ख) क्षेत्रीय या आंचलिक कार्यालय स्तर पर बैंक के माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम ऋण विभाग के प्रभारी अधिकारी, समिति का सदस्य और संयोजक होगा।

(ग) बैंक द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता वाले एक स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञ को नामित किया जाए।

(घ) संबंधित राज्य सरकार से एक प्रतिनिधि। समिति में संबंधित राज्य सरकार से प्रतिनिधि लाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। यदि राज्य सरकार किसी सदस्य को नामित नहीं करती है तो संयोजक बैंक को चाहिए कि वह ऐसे स्वतंत्र विशेषज्ञ को समिति में शामिल करें जो अन्य बैंक के सहायक महाप्रबंधक या उससे वरिष्ठ स्तर के दर्जे का सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारी हो।

(ड.) संघीय या एमबीए के अंतर्गत खातों का संचालन करते समय उधारकर्ता के साथ एक्सपोजर वाले सभी बैंकों / ऋणदाताओं के वरिष्ठ प्रतिनिधि।

3.4 बैंकों को चाहिए कि वे समिति का गठन, इसके सदस्यों की नियुक्ति का कार्यकाल, रिक्तियां भरने की पद्धति तथा समिति द्वारा कार्य किए जाने में पालन की जानेवाली क्रियाविधि संबंधी इन अनुदेशों के आधार पर अपने बोर्ड के अनुमोदन से नीति तैयार करें। जहां समिति द्वारा साधारण बहुमत के अनुसार निर्णय किए जाएंगे वहीं बराबरी (टाई) होने के मामले में अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार होगा। संघीय/ एमबीए के अंतर्गत खातों के मामले में, ऋणदाताओं को चाहिए कि वे संयुक्त ऋणदाता मंच (जेएलएफ) करार के समान अंतर ऋणदाता करार पर हस्ताक्षर करें। समिति द्वारा सुचारू कार्य-संचालन तथा निर्धारित समय सीमा के पालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक समर्पित श्रमशक्ति सहित उपयुक्त व्यवस्था करें।

3.5 सभी पात्र दबावग्रस्त एमएसएमई को इस ढांचे में निर्धारित विनियमों के अनुसार इन खातों में दबाव के समाधान के लिए समिति तक पहुंच होगी।

3.6 बशर्ते जहां समिति ने सीएपी के भाग के रूप में वसूली किए जाने का निर्णय लिया है वहां वसूली की रीति और पद्धति, उस बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विद्यमान नीतियों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों और वर्तमान सांविधिक अपेक्षाओं के अधीन, होगी जिसने उद्यम को ऋण सुविधाएं दी हैं।

4. सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) के लिए समिति को आवेदन

4.1 एमएसएमई खाते को एसएमए-2 या ढांचे के अंतर्गत विचार करने हेतु योग्य के रूप में अभिनिर्धारित किए जाने पर या दबावग्रस्त उद्यम से आवेदन की प्राप्ति पर कोई भी ऋणदाता रु. 10 लाख से अधिक की समग्र ऋण सीमा वाले खाते समिति को तत्काल बैठक आयोजित करने और

सीएपी पर निर्णय लेने हेतु अग्रेषित करेगा। रु. 10 लाख से अधिक की समग्र ऋण सीमा वाले दबावग्रस्त उद्यम सीएपी के लिए, सीधे ही समिति को या सबसे बड़े ऋणदाता को सभी ऋणदाताओं को सूचित करते हुए आगे बढ़ाने के लिए, आवेदन कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) रु.10 लाख से अधिक की समग्र ऋण सीमा के लिए उपयुक्त आवेदन प्रारूप निर्धारित करें जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित का समावेश होना चाहिए :

(क) उद्यम के निवल मूल्य सहित उसके नवीनतम लेखा-परीक्षित लेखे;

(ख) राज्य या केंद्र सरकार तथा अरक्षित ऋणदाता के प्रति देयताओं, यदि कोई हो, सहित उद्यम की सभी देयताओं का विवरण;

(ग) उद्यम द्वारा सामना किए जा रहे दबाव का स्वरूप; एवं

(घ) सुझाई गई उपचारात्मक कार्रवाइयां

भारतीय बैंक संघ (आईबीए) रु.10 लाख तक की समग्र ऋण सीमा के लिए भी उपयुक्त आवेदन प्रारूप निर्धारित करें।

4.2 जहां आवेदन, बैंक/ ऋणदाता द्वारा किया गया है और समिति द्वारा स्वीकार किया गया है, वहां समिति संबंधित उद्यम को पांच कार्यदिवस के अंतर्गत ऐसे आवेदन के बारे में सूचित करेगी और उद्यम के लिए आवश्यक होगा कि वह :

(क) आवेदन का जवाब दें या समिति के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें; तथा

(ख) ऐसी नोटिस की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर राज्य या केंद्र सरकार तथा गैर-जमानती ऋणदाता के प्रति देयताओं, यदि कोई हो, सहित उद्यम की सभी देयताओं का विवरण प्रकट करें;

यदि उद्यम उक्त अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है तो समिति एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ सकती है।

4.3 उद्यम की देयताओं से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर, समिति यदि उचित समझे तो, उद्यम द्वारा प्रकट किए गए सांविधिक ऋणदाता को ढांचे के अंतर्गत आवेदन के बारे में सूचित करने के लिए और उनके दावों के संबंध में ऐसी नोटिस की प्राप्ति से **पंद्रह दिनों के भीतर** समिति के समक्ष अभ्यावेदन करने के लिए अनुमति देते हुए नोटिस भेज सकती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपयुक्त सीएपी तय करने की दृष्टि से उद्यम की कुल देयताएं निर्धारित करने के लिए तथा ऋणदाता द्वारा उक्त के भुगतान के लिए नहीं, ऐसी जानकारी आवश्यक होती है।

4.4 समिति को किसी विशिष्ट उद्यम हेतु पहली बैठक आयोजित करने के **30 दिनों** के भीतर, सुधारात्मक कार्य योजना, जैसा कि बाद के पैराग्राफ में दिया गया है, के अंतर्गत अपनाए जाने वाले विकल्प पर निर्णय लेना होगा और उद्यम को ऐसा निर्णय लिए जाने की तारीख से **पांच कार्य दिवसों** के भीतर निर्णय के बारे में सूचित करना होगा।

4.5 यदि समिति द्वारा निर्धारित सुधारात्मक कार्य योजना में उद्यम के ऋण हेतु पुनर्संरचना की परिकल्पना की गई है तो समिति को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) का व्यापक अध्ययन करना होगा (पैरा 5.1 का संदर्भ भी लें) तथा ऐसी पुनर्संरचना के लिए विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार पुनर्संरचना के लिए **20 कार्य दिवसों** के भीतर (रु. 10 करोड़ तक के समग्र एक्सपोजर वाले खातों के लिए) और **30 कार्य दिवसों** के भीतर (रु. 10 करोड़ से अधिक तथा रु. 25 करोड़ तक के समग्र एक्सपोजर वाले खातों के लिए) शर्तों को अंतिम रूप देना होगा तथा उद्यम को ऐसी शर्तों के बारे में **पांच कार्य दिवसों** के भीतर अधिसूचित करना होगा।

4.6 सुधारात्मक कार्य योजना की शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत संबंधित बैंक द्वारा इस योजना का कार्यन्वयन 30 दिनों (यदि सीएपी परिशोधनात्मक है) और 90 दिनों (यदि सीएपी पुनर्संरचनात्मक है तो) के भीतर पूरा करना होगा। यदि सीएपी के रूप में वसूली का विचार किया गया है तो वसूली उपाय शीघ्रातिशीघ्र शुरु किए जाने चाहिए।

4.7 जहां एमएसएमई के संबंध में समिति द्वारा कोई आवेदन स्वीकार किया जाता है वहां उद्यम को अपनी उत्तरजीविता के लिए आवश्यक संविदा निष्पादित करना जारी रखना होगा, परंतु समिति जिसे वह उद्यम के भावी पुनरुज्जीवन के लिए उचित समझे, ऐसे प्रतिबंध लगा सकती है।

4.8 समिति सुधारात्मक कार्य योजना में कराधान या किसी अन्य सांविधिक देयताओं के भुगतान के लिए समुचित प्रावधान करेगी और उद्यम ऐसी योजना संबंधित कराधान या सांविधिक प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा तथा ऐसी भुगतान योजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करेगा।

5. समिति द्वारा सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी)

5.1 समिति खाते में दबाव का समाधान करने के लिए विभिन्न विकल्पों की छान-बीन कर सकती है। समिति किसी विशेष समाधानात्मक विकल्प को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं करेगी और सीएपी का निर्धारण प्रत्येक मामले की विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थिति के अनुसार करेगी। जहां रु. 10 करोड़ और उससे अधिक के समग्र एक्सपोजर वाले खातों के लिए सीएपी के रूप में पुनर्संरचना पर विचार करने से पहले संबंधित ऋणदाता/ओं द्वारा प्रत्येक खाते की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता निश्चित करनी होगी वहीं समिति को चाहिए कि वह सीएपी को अंतिम रूप देने से पहले व्यापक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन करे।

5.2 उद्यम को सीएपी के संचालन की अवधि के दौरान अपना व्यवसाय चलाने के लिए सीएपी की शर्तों के अधीन की गई परिकल्पना के अनुसार जमानती और गैर जमानती ऋण दोनों का लाभ लेने की अनुमति होगी।

5.3 सीएपी के अंतर्गत समिति द्वारा निम्नलिखित विकल्प शामिल किए जा सकते हैं :

(क) परिशोधन:- खाते को नियमित करने के लिए उधारकर्ता से विशेष रूप से क्रिया-विधि और समयावधि का उल्लेख करते हुए प्रतिबद्धता प्राप्त करना ताकि खाता विशेष उल्लिखित खाता की स्थिति से बाहर आ सके या अनर्जक आस्ति की श्रेणी में शुमार न हो जाए तथा प्रतिबद्धता के समर्थन के लिए आवश्यक समयावधि के भीतर एवं वर्तमान ऋणदाताओं को कोई हानि पहुंचाने या उनके द्वारा कोई त्याग किए जाने बिना अभिनिर्धारित किए जाने योग्य नकदी प्रवाह (ऋण) दिया जाना चाहिए। परिशोधन प्रक्रिया मुख्य रूप से उधारकर्ता के लिए संचालित होनी चाहिए। तथापि, समिति, यदि आवश्यक समझा जाए, परिशोधन प्रक्रिया के भाग के रूप में, उधारकर्ता को आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त वित्त प्रदान करने पर भी विचार कर सकती है। तथापि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह का आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त वित्त अपवादात्मक मामलों में, कार्यशील पूंजी में हुई अपरिहार्य वृद्धि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नियत है। कार्यशील पूंजी के लिए अतिरिक्त वित्त के सभी मामलों में, निधियों का विपथन खाते एनपीए के समान बना देगा। साथ ही, ऐसा अतिरिक्त वित्त सामान्यतया तदर्थ सुविधा के रूप में होना चाहिए जिसे अधिकतम छः माह की अवधि में चुकाना या नियमित करना होगा। किसी अन्य प्रयोजन के लिए अतिरिक्त वित्त, तथा साथ ही मौजूदा सुविधाओं का कोई विस्तारण (रोल-ओवर), या उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में न किया गया निधीयन, पुनर्संरचना के समान होगा। साथ ही, एक वर्ष की अवधि के भीतर, निधीयन के सहारे बार-बार परिशोधन, को पुनर्संरचना के रूप में माना जाएगा और सीएपी के अंतर्गत ऐसे मामलों में कोई अतिरिक्त वित्त स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए यदि किसी ऋणदाता द्वारा खाते को कपट (फ्राड) के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

(ख) पुनर्संरचना:- खाते की पुनर्संरचना की संभावना पर विचार करना, यदि प्रथमदृष्टया वह व्यवहार्य है और उधारकर्ता इरादतन चूककर्ता नहीं है, अर्थात निधियों का विपथन, धोखेबाजी या भ्रष्टाचार, आदि कोई नहीं है। प्रवर्तकों से आस्तियों के कानूनी स्वत्वाधिकार की प्रतियों द्वारा समर्थित अपनी निवल मूल्य विवरणी के साथ अपनी वैयक्तिक गारंटी देने के लिए प्रतिबद्धता ऐसी घोषणा के साथ प्राप्त करना कि वे समिति की अनुमति के बिना ऐसा कोई लेनदेन नहीं करेंगे जिससे आस्ति का हस्तांतरण हो। उधारकर्ता द्वारा प्रतिबद्धता से किया गया कोई भी विचलन, जिससे ऋण की जमानत और वसूलयोग्यता प्रभावित होती हो, को वसूली प्रक्रिया शुरू करने के लिए वैध घटक के रूप में माना जाएगा। समिति में ऋणदाता, अंतर ऋणदाता करार पर हस्ताक्षर करें और उधारकर्ता से भी अपेक्षित है कि वह ऋणकर्ता-ऋणदाता करार पर हस्ताक्षर करे जिससे किसी भी पुनर्संरचना प्रक्रिया के लिए कानूनी आधार उपलब्ध होगा। आईबीए इस प्रयोजन के लिए कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना प्रणाली द्वारा अंतर ऋणदाता करार और ऋणकर्ता- ऋणदाता करार के लिए उपयोग में लाए जा रहे प्रारूप के समान प्रारूप तैयार कर सकता है। साथ ही पुनर्संरचना की प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रहने योग्य बनाने के लिए ऋणकर्ता-ऋणदाता करार में यथावत स्थिति (स्टैंड स्टिल) खंड (अग्रिमों की पुनर्संरचना पर वर्तमान दिशानिर्देशों में यथापरिभाषित) निर्धारित किया जा सकता है। स्टैंड स्टिल खंड का अर्थ यह नहीं है कि उधारकर्ता,

उधारदाता को भुगतान करने से प्रतिबंधित है। अंतर ऋणदाता करार यह भी निर्धारित करें कि अंतिम समाधान पर सुरक्षित और असुरक्षित दोनों ऋणदाताओं को सहमत होना आवश्यक है।

(ग) वसूली:- एक बार उक्त प्रथम दो विकल्प (क) एवं (ख) को व्यवहार्य न पाए जाने पर यथोचित वसूली प्रक्रिया का सहारा लिया जाए। समिति अधिकतम प्रयासों एवं परिणामों की दृष्टि से, उपलब्ध विभिन्न वैध और अन्य वसूली विकल्पों में से अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम वसूली प्रक्रिया संबंधी निर्णय ले।

6. समिति में जिन निर्णयों पर अधिकांश ऋणदाताओं (मूल्य के हिसाब से 75 प्रतिशत और संख्या के हिसाब से 50 प्रतिशत) की सहमति है उन्हें खाते की पुनर्संरचना संबंधी कार्यवाही के लिए आधार के रूप में माना जाएगा और सभी ऋणदाताओं के लिए अंतर ऋणदाता करार की शर्तों के अंतर्गत वे बाध्यकारी होंगे। यदि समिति वसूली के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेती है, बाध्यकारी निर्णय के लिए न्यूनतम मानदंड, यदि कोई हो, किसी संगत कानून या अधिनियमों के अंतर्गत, लागू होगा।

7. समय सीमा

इस ढांचे के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए विस्तृत समय खाका दिए गए हैं। यदि समिति उधारकर्ता की सांविधिक देयताओं संबंधी जानकारी उपलब्ध न होने के कारण सीएपी और पुनर्संरचना पैकेज पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो समिति सीएपी और पुनर्संरचना पैकेज का निर्णय लेने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय ले सकती है। तथापि, उन्हें इस अवधि से अधिक इंतजार नहीं करना चाहिए तथा सीएपी के संबंध में आगे बढ़ना चाहिए।

8. अतिरिक्त वित्त

8.1 यदि समिति ऐसा निर्णय लेती है कि उद्यम को पुनर्संरचित या पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है तो वह ऐसे वित्त के प्रावधान के लिए योजना तैयार कर सकती है। कोई भी अतिरिक्त वित्त, प्रवर्तकों द्वारा उचित अनुपात में दिए गए अंशदान से मेल खाना चाहिए और वह ऋणों की मूल स्वीकृति के समय के अनुपात से कम नहीं होना चाहिए। सीएपी के भाग के रूप में पुनर्संरचना / परिशोधन के अंतर्गत प्रदान किए गए अतिरिक्त निधीयन की चुकौती को मौजूदा ऋणों की चुकौती से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। अतः अतिरिक्त निधीयन की किस्ते जो चुकौती के लिए देय हो जाएंगी उन्हें मौजूदा ऋण के दायित्व की चुकौती से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।

8.2 यदि मौजूदा प्रवर्तक अतिरिक्त निधि लाने की स्थिति में नहीं हैं तो समिति उद्यम को जमानती या गैर जमानती ऋण जुटाने की अनुमति दे सकती है।

8.3 परंतु साथ ही, समिति, सभी मान्यता प्राप्त ऋणदाताओं की सहमति से ऐसे ऋण प्रदान कर सकती है जिन्हें किसी मौजूदा ऋण की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता हो।

9. यदि समिति या तो परिशोधन या पुनर्संरचना के विकल्प का निर्णय लेती है, परंतु खाता इन विकल्पों के अंतर्गत सहमत शर्तों के अनुसार कार्य करने में असफल रहता है तो समिति विकल्प 5.3(सी) के अंतर्गत वसूली शुरू करेगी।

10. समिति द्वारा पुनर्संरचना

10.1 पात्रता

(क) समिति द्वारा पुनर्संरचना के केवल ऐसे मामलों को लिया जाएगा जिनकी आस्तियों को समिति के एक या अधिक ऋणदाताओं द्वारा मानक, विशेष उल्लिखित खाता या अवमानक (सब-स्टेंडर्ड) के रूप में रिपोर्ट किया गया हो।

(ख) तथापि, समिति ऐसे ऋण की पुनर्संरचना पर विचार कर सकती है जहां खाता एक या दो ऋणदाताओं के पास संदिग्ध परंतु अधिकांश अन्य ऋणदाताओं (मूल्य के हिसाब से) की बहियों में मानक या अवमानक है।

(ग) इरादतन चूककर्ता पुनर्संरचना के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, समिति उधारकर्ता के इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकरण के कारणों की समीक्षा कर सकती है और स्वयं को संतुष्ट कर सकती है कि उधारकर्ता इरादतन चूक को परिशोधित करने की स्थिति में है। ऐसे मामलों की पुनर्संरचना करने संबंधी निर्णय पर समिति के अंतर्गत संबंधित बैंक के बोर्ड का अनुमोदन होगा जिसने उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया है।

(घ) धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले पुनर्संरचना के लिए अपात्र होंगे। तथापि, धोखाधड़ी/ भ्रष्टाचार के मामलों में जहां नए प्रवर्तकों द्वारा मौजूदा प्रवर्तकों का स्थान लिया गया है और उधारकर्ता कंपनी पूरी तरह से ऐसे पूर्व प्रवर्तकों/ प्रबंधन से अलग है वहां बैंक और समिति पूर्व प्रवर्तकों/ प्रबंधन के विरुद्ध अपराधिक कार्रवाई जारी रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे खातों की व्यवहार्यता के आधार पर उनकी पुनर्संरचना पर कर सकते है। साथ ही, ऐसे खाते, स्वामित्व में परिवर्तन, यदि स्वामित्व में ऐसा परिवर्तन "उधारकर्ता संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर विवेकपूर्ण मानदंड (बाहरी रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना)" पर दिनांक 24 सितंबर 2015 के परिपत्र डीबीआर बीपी.बीसी.सं. 41/21.04.048/2015-16 में निहित दिशानिर्देशों के अधीन किया गया है तो पुनर्वित्तपोषण पर उपलब्ध आस्ति वर्गीकरण लाभ के लिए भी पात्र होंगे। प्रत्येक बैंक ऐसी आस्तियों की पुनर्संरचना पर अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अपनी नीति और आवश्यकताएं बनाए।

10.2. व्यवहार्यता

(क) समिति द्वारा निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता न्यूनतम मानदंडों के आधार पर समिति खाते की व्यवहार्यता निर्धारित करेगी।

(ख) मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण ईक्विटी अनुपात, ऋण चुकौती व्याप्ति अनुपात, चलनिधि या चालू अनुपात, आदि का समावेश किया जाए।

10.3. ढांचे के अंतर्गत पुनर्संरचना से संबंधित शर्तें

(1) इस ढांचे के अंतर्गत पुनर्संरचना पैकेज में समय खाका की शर्त होगी जिसके दौरान कतिपय व्यवहार्यता माइलस्टोन जैसे 6 माह की अवधि के बाद कतिपय वित्तीय अनुपातों में सुधार प्राप्त किया जाए।

(2) समिति माइलस्टोन की प्राप्ति / अप्राप्ति के संबंध में आवधिक रूप से खाते की समीक्षा करेगी, और जैसा उचित समझे, वसूली उपायों सहित उपयुक्त उपायों का आरंभ करने पर विचार करेगी।

(3) इस ढांचे के अंतर्गत कोई भी पुनर्संरचना निर्धारित समयावधियों के भीतर पूरी की जाएगी।

(4) समिति निर्धारित समयावधि का अधिकतम उपयोग करेगी ताकि पुनर्संरचना की किसी विधि के अंतर्गत समग्र समय सीमा का उल्लंघन न किया जा सके।

(5) यदि समिति किसी गतिविधि के लिए निर्धारित सीमा की तुलना में कम समय लेती है तो उसे बचाए गए समय का उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए करने का विवेकाधिकार हो सकता है, बशर्ते समग्र समय सीमा का उल्लंघन न हो।

(6) पुनर्संरचना का सामान्य सिद्धांत यह होगा कि उधारदाताओं के बजाए पणधारक उद्यम की प्रथम हानि का भार उठाएंगे। कंपनी के मामले में, समिति ऋण पुनर्संरचित करते समय निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें :

(क) प्रवर्तकों द्वारा उधारदाताओं को उनके त्याग की क्षतिपूर्ति करने के लिए कंपनी की ईक्विटी के अंतरण की संभावना;

(ख) प्रवर्तकों द्वारा अपनी कंपनियों में और अधिक ईक्विटी ड़ालना;

(ग) प्रवर्तकों की धारिताओं का प्रतिभूति न्यासी को अंतरण या उद्यम के कायापलट तक प्रबंधन नियंत्रण में परिवर्तन करने योग्य होने के तिए निलंब (एस्क्रो) व्यवस्था, यदि उधारदाता इसके पक्ष में हो।

(7) यदि उधारकर्ता ने गतिविधियों का विशाखन या विस्तार का आरंभ किया है जिसके फलस्वरूप समूह के मूल व्यवसाय पर दबाव पड़ा है तो खाते की पुनर्संरचना के लिए शर्त के रूप में मूलेतर आस्तियों या अन्य आस्तियों की बिक्री का खंड निर्धारित किया जाए, यदि तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के अंतर्गत खाता मूलेतर गतिविधियां और अन्य आस्तियों को अलग किए जाने व्यवहार्य होने की संभावना हो।

(8) सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में देयता की पुनर्संरचना के लिए, उधारदाताओं को, प्रारंभ से, उनकी हानि या त्याग (निवल वर्तमान मूल्य के संदर्भ में खाते के उचित मूल्य में कमी) की प्रतिपूर्ति वर्तमान विनियमों और सांविधिक अपेक्षाओं के अधीन पहले कंपनी की ईक्विटी जारी कर की जाए।

(9) यदि ईक्विटी जारी करने से उधारदाता के त्याग की पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो कमी की सीमा तक पुनः-प्रतिपूर्ति के अधिकार का खंड समाविष्ट किया जाए।

(10) सुरक्षित उधारदाताओं, आंशिक रूप से सुरक्षित उधारदाताओं और असुरक्षित उधारदाताओं को उपलब्ध विशिष्ट सुरक्षा हित में भेद करने के लिए, समिति विभिन्न विकल्पों पर विचार करें, जैसे :

(क) उपर्युक्त संवर्ग के उधारदाताओं के बीच चुकौती के संबंध में अंतर-ऋणदाता करार में पूर्व करार;

(ख) सुरक्षित ऋणदाताओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए संरचित करार;

(ग) कतिपय पूर्व सहमत अनुपात में सुरक्षित, आंशिक रूप से सुरक्षित और असुरक्षित उधारदाताओं के बीच चुकौती आय का विनियोजन।

(11) समिति, उद्यम या पैरा 4.3 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त किसी ऋणदाता द्वारा प्राप्त अनुरोध पर उद्यम या ऐसे ऋणदाता द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार कार्यवाही से संबंधित जानकारी उपलब्ध करेगी।

10.4 आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड

इस ढांचे के अंतर्गत खातों की पुनर्संरचना के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के वर्तमान मानदंड लागू होंगे।

11. समीक्षा

(1) यदि समिति निर्णय लेती है कि उद्यम के विरुद्ध वसूली कार्रवाई शुरू की जाए तो ऐसा उद्यम समिति का निर्णय प्राप्त होने की तारीख से **दस कार्य दिवसों** की अवधि में समिति द्वारा निर्णय की समीक्षा के लिए अनुरोध कर सकता है।

(2) समीक्षा के लिए अनुरोध निम्नलिखित आधारों पर किया जाएगा :

(क) रिकार्ड पर स्पष्ट रूप से कोई भूल या गलती चूक; या

(ख) नये और संगत तथ्य या जानकारी का प्रकटीकरण जो उद्यम द्वारा समुचित सावधानी बरतने के वाबजूद समिति के समक्ष पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

(3) समिति द्वारा समीक्षा आवेदन पर निर्णय उसे दायर किए जाने की तारीख से **तीस दिनों** की अवधि में लिया जाएगा और यदि ऐसी समीक्षा के फलस्वरूप समिति नयी सुधारात्मक कार्य योजना का अनुसरण करने का निर्णय लेती है तो वह ऐसा कर सकती है।

अनुबंध - I

एसएमए-0, दबाव के संकेत

किसी खाते को एसएमए-0 के रूप में वर्गीकृत करने हेतु दबाव के संकेतों की व्याख्यात्मक सूची:

1. (क) स्टॉक विवरणी/ निर्धारित अन्य परिचालन नियंत्रण विवरणी या (ख) ऋण निगरानी या वित्तीय विवरणी या (ग) लेखा परिक्षित वित्तीयों के आधार पर सुविधाओं के नवीकरण/ प्रस्तुतिकरण में 90 दिन या उससे अधिक की देरी।

2. स्वीकृत ऋण हेतु स्वीकार किए गए वास्तविक बिक्री / परिचालन लाभ के अनुमान में 40 प्रतिशत या उससे अधिक की गिरावट, या बैंक द्वारा लेखा परिक्षित स्टॉक के आचरण से गैर-सहयोग/ रोकथाम की एकल घटना, या लेखा परीक्षा के बाद आहरण शक्ति (डीपी) में 20 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी, या अनुमोदन रहित प्रयोजन के लिए निधियों के विपथन का प्रमाण, या किसी एक समीक्षा में आंतरिक जोखिम रेटिंग में 2 या उससे अधिक की गिरावट के संकेत।

3. खाते में अपर्याप्त राशि/ डीपी के आधार पर उधारकर्ता द्वारा 30 दिनों में जारी 3 या उससे अधिक चेक (या इलेक्ट्रॉनिक डेबिट निर्देश) का वापस हो जाना या उधारकर्ता द्वारा संग्रह के अंतर्गत भेजे गए या भुनाए गए 3 या उससे अधिक बिलों/ चेकों की वापसी।

4. आस्थगित भुगतान गारंटियां (डीपीजी) किस्तों या साख पत्रों (एलसी) या बैंक गारंटियों (बीजी) के आह्वान में भागिदारी का न होना तथा 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान न होना।

5. मूल स्वीकृत शर्तों में निर्धारित समय के विरुद्ध प्रतिभूतियों के निर्माण या प्रवीणता या स्वीकृति के किसी अन्य नियम और शर्तों के अनुपालन हेतु तीसरी बार समय विस्तार हेतु अनुरोध।

6. चालू खातों में अतिदेय की आवृत्ति में वृद्धि.

7. उधारकर्ता द्वारा वित्त और व्यापार में दबाव रिपोर्ट करने पर।

8. वित्तीय दबाव के कारण प्रवर्तक/कों द्वारा उधारकर्ता कंपनी के अपने शेयर बेचा/ बंधक रखा जाना।